तारीख हुक्म	**हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज** **न्यायालय अतिरिक्त न्यायिक मजिस्ट्रेट, नाथद्वारा** प्रकरण संख्या 19/2026 रे0फो0 **राजस्थान राज्य बनाम चन्द्रकांत** **1**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की

दिनांक : 25.02.2026

सहायक अभियोजन अधिकारी उपस्थित।

अभियुक्त उदयलाल की मृत्यु होने से दिनांक 23.04.2015 को कार्यवाही ड्रॉप की गई।

अभियुक्त नारायणलाल की मृत्यु होने से दिनांक 13.03.2019 को कार्यवाही ड्रॉप की गई।

अभियुक्त नाथूलाल को दिनांक 13.11.2024 को आरोपित अपराध से उन्मोचित किया गया।

अभियुक्त अशोक कुमार को दिनांक 08.10.2024 को मफरूर किया गया।

अभियुक्त चन्द्रकांत मय **अधिवक्ता श्री अतुल पालीवाल उपस्थित।**

अभियुक्त **शंभुसिंह** अनुपस्थित। अधिवक्ता **श्री अतुल पालीवाल** उपस्थित।

अभियुक्त की ओर से जरिये अधिवक्ता हाजरी माफी का प्रार्थना पत्र पेश किया गया, जो बाद सुनवाई आज के लिए पेश किया गया।

अभियुक्त **कल्याणसिंह** अनुपस्थित। अधिवक्ता **श्री शंकरसिंह सिसोदिया** उपस्थित।

अभियुक्त की ओर से जरिये अधिवक्ता हाजरी माफी का प्रार्थना पत्र पेश किया गया, जो बाद सुनवाई आज के लिए पेश किया गया।

अभियुक्त **गिरिराज गुर्जर** अनुपस्थित। अधिवक्ता **श्री भरत गुर्जर** उपस्थित।

अभियुक्त की ओर से जरिये अधिवक्ता हाजरी माफी का प्रार्थना पत्र पेश किया गया, जो बाद सुनवाई आज के लिए पेश किया गया।

पत्रावली साक्ष्य अभियोजन के स्तर पर है। साक्ष्य अभियोजन गवाह उम्मेदीलाल का गिरफतारी वारंट ईमेल से सूचना के

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की

पृष्ठांकन के साथ प्राप्त हुआ।

साक्ष्य अभियोजन में गवाह उम्मेदीलाल पीडब्ल्यू 18 के पूर्ण बयान लेखबद्ध किए गए।

इस स्तर पर पत्रावली का अवलोकन करने से यह प्रकट होता है कि प्रकरण में अभियोजन की ओर से प्रस्तुत गवाह सूची के गवाह संख्या 12 खुमाणसिंह परीक्षित होना शेष है।

गवाह संख्या 12 खुमाणसिंह को जरिये जमानती वारंट 5,000/— रुपये से तलब किया जावें। वारंट पर प्रकरण इस न्यायालय का टारगेट केस होने व अंतिम गवाह शेष होने से आवश्यक रूप से तामील का नोट अंकित किया जावें।

तामील की एक प्रति एपीओ व एसपी राजसमन्द को प्रेषित की जावें।

पत्रावली वास्ते साक्ष्य अभियोजन दिनांक 07.03.2026 को पेश हो।